



## बिहार में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ी

# NMCH के छात्र और डायल 102 का स्टाफ हड़ताल पर

पटना, आज पटना के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की परेशानी हो रही है। इसके दो-दो कारण हैं। पहला यह है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल स्टूडेंट का हड़ताल पर चले गए हैं। एनएमसीएच में इंटरनशिप कर रहे स्टूडेंट स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरा यह है कि डायल 102



के एंबुलेंस के कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि नई एजेंसी के प्रति एंबुलेंस कर्मचारियों का कई बिंदुओं पर संशय बना हुआ है। एजेंसी इनका समाधान करने के बजाय मनचाहे ढंग से नियमों को जबरन लागू कर रही है। इसका समाधान किया जाए। जानिए, मेडिकल स्टूडेंट क्या क्या

किया मंगलवार को एनएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट हड़ताल पर चले गए। छात्र-छात्राओं ने अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए रजिस्ट्रेशन कार्डेंटर को बंद करवा दिया और ओपीडी भी बाधित कर दिया। मेडिकल स्टूडेंट की मांग है कि अस्पताल प्रबंधन फंड नहीं आने की बात कह स्ट्राइक नहीं दे रहे।

जुलाई 2024 से वह स्ट्राइपेंड की मांग कर रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमलोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। अब जानिए एंबुलेंसकर्मी क्या कह रहे बुधवार सुबह से ही एंबुलेंसकर्मी गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठे हुए

हैं। बिहार एंबुलेंस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम आदि नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पूरी नहीं होती है, तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। एंबुलेंसकर्मीयों को अनुचित तरीके से ट्रांसफर कर बिना कारण नौकरी से हटा दिया जाता है। यह अन्याय है। सरकार को हमलोगों के साथ न्याय करना होगा।

## 80 साल बाद बेतिया राजा का संदूक खुला

# बेशकीमती गहनों को देख अफसर भी रह गए हैरान

चन्दन कुमार चौबे . सिटी चीफ बेतिया, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की संरक्षित संपत्तियों में से एक संदूक 18 जनवरी 2025 को 80 साल बाद खोला गया, इस संदूक से बेशकीमती गहनों की प्राप्ति हुई है। इस संदूक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना शाखा के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा गया था। अब राज्य सरकार बेतिया राज की सभी चल और अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। संदूक खोलने पर भारी मात्रा में सोने की मटरमाला और अन्य गहने मिले हैं। इस खोज से यह संभावना जताई जा रही है कि बाकी बक्सों में भी ऐसे बेशकीमती सामान हो सकते हैं। इन बाकी पांच बक्सों को भी जल्द खोला जाएगा और उनके सामान का मूल्यांकन किया जाएगा, बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु 1893 में हुई और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। इसके बाद उनकी पत्नियों के माध्यम से राज का प्रबंधन 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' को सौंप दिया गया, बेतिया राज का शासन 1883 से राजा हरेंद्र किशोर सिंह और उनकी पत्नी महारानी जानकी कुंवर के हाथों में था। पिछले महीने



बिहार विधानमंडल ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके बाद बेतिया राज की सभी संपत्तियों का अधिकार बिहार सरकार को मिल गया, अब सरकार इन संपत्तियों की जांच और मूल्यांकन कर रही है। बेतिया राज की संपत्तियों

के संरक्षण और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। 1990 में बेतिया राज के दौलत खाने से हुई हीरे और जवाहरात की चोरी को एशिया की सबसे बड़ी चोरी माना गया था।

## वेतन कटने पर तान दी थी पिस्तौल

# बॉस को थप्पड़ मारने वाला सरकारी डॉक्टर सस्पेंड

चन्दन कुमार चौबे . सिटी चीफ बिहार, पटना से सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसौढ़ी के प्रभारी डॉक्टर रामानुज पर पिस्तौल तानने और थप्पड़ चलाने वाले डॉक्टर सत्यनारायण पासवान पर कार्रवाई की गई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर सत्येंद्र नारायण मोहन पासवान को अनुशासनहीनता और सरकारी काम में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इस पूरे घटना के संदर्भ में बताया जाता



है कि बीते 30 नवंबर 2023 की दोपहर मसौढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर की पीएचसी प्रभारी

से अटेंडेंस के मुद्दे पर बहस हो गई थी, इसके बाद उन्होंने अपने बॉस डॉ रामानुज पर बंदूक तान दी थी, इतना ही नहीं थप्पड़ भी रसीद कर दी थी, इस घटना में प्रभारी डॉक्टर जखमी हो गए और उनका चश्मा भी टूट गया था, घटना के बाद अस्पताल में बवाल मच गया। सभी कर्मचारी पीएचसी प्रभारी के कमरे में दौड़ पड़े और किसी तरह से डॉक्टर को निकाला गया। उसके बाद मसौढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया है।

## पटना, नालंदा समेत तीन शहरों में ईडी की छापेमारी

# रेलवे क्लेम घोटाले में शामिल लोगों पर एक्शन

पटना, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रेलवे क्लेम घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। पटना, नालंदा और बेंगलुरु में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ईडी की अलग-अलग टीम पटना में तीन, नालंदा में एक और बेंगलुरु में एक जगह पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी। इसमें रेलवे के न्यायिक अधिकारी, वकील और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की बात सामने आई थी। इस मामले में रेलवे न्यायिक अधिकारी आरके मित्तल को पहले ही



बर्खास्त किया जा चुका है। अब ईडी की टीम आरके मित्तल और उनके वकील बीएन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

## 80 अपराधियों की कुंडली तैयार

# 10 दिनों में सरेंडर नहीं किया तो घर पर चलेगा बुलडोजर

चन्दन कुमार चौबे . सिटी चीफ बेतिया, बिहार पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेतिया पुलिस ने 80 अपराधियों के नाम को सार्वजनिक किया है। इन सभी अपराधियों पर इनाम की भी घोषणा की गई है। इन अपराधियों पर 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के इनाम का ऐलान हुआ है। जो भी इन अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना देगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ये सभी अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स



एक्ट और पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे हैं। बेतिया एसपी के द्वारा जिन 80 अपराधियों का नाम सार्वजनिक किया गया है, इन सब पर कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बेतिया पुलिस ने सभी अपराधियों को दस दिन में न्यायालय में समर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर इन अपराधियों के घरों का पुलिस कुर्की जब्ती करेगी, इन सभी अपराधियों पर इनाम की घोषणा भी की गई है, इन अपराधियों का पता बताने या इनको

पकड़वाने वाले को पुलिस 10 हजार से 25 हजार तक का इनाम देगी, असल में बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने फरार 80 कुख्यात अपराधियों की सूची डीआईजी हरिकिशोर राय को भेजी थी, जिस पर डीआईजी ने मुहर लगा दी है। जिसके बाद पुलिस ने इन 80 फरार अपराधियों के नाम को सार्वजनिक कर दिया है। इन पर अलग अलग इनाम की घोषणा पर कर दी है। वहीं आने वाले दस दिनों के अंदर अगर ये अपराधी न्यायालय में समर्पण नहीं करते है, तो

पुलिस इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लूट, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट माफिया जैसे कांडों में कुल 80 वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध इनाम की घोषणा की गई है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं अगर 10 दिनों के अंदर इन फरार आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.- डॉ. शौर्य सुमन, पुलिस अधीक्षक, बेतिया.